

निरीक्षण टिप्पणी

E.D.M. / D.F.M.C

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| निरीक्षणकर्ता | :—पुलकित खरे, आई0ए0एस0 |
| निरीक्षणकर्ता का पदनाम | :—मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर। |
| विकास खण्ड | :—कांट |
| निरीक्षण की तिथि | :—17.04.2016 |

24/4/16

दिनांक 17.04.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकास खण्ड कांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या, शिवरतन लाल, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता/पंचायत, श्री अतुल मिश्र, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तथा अन्य स्टाफ उपस्थित मिला। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री रमाकांत श्रीवास्तव, स्थापना लिपिक की बेटी की शादी के कारण वह दिनांक 16.04.2016 से अर्जित अवकाश पर है।

उपस्थिति पंजिका

उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, सहायक विकास अधिकारी (महिला) के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौके पर उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती अग्रवाल माह नवम्बर, 2015 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही है। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वह इस तथ्य की सूचना बिना किसी विलम्ब के जिला विकास अधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराये ताकि उनके स्तर से यथोचित कार्यवाही की जा सकें।

(कार्यवाही—जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी—कांट)

मनरेगा सेल



मनरेगा सेल की जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त कक्ष विकास खण्ड में बना ही नहीं है। मौके पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर मनरेगा सेल स्थापित करें। जब अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से पूछा गया कि वह किस कम्प्यूटर पर कार्य करते हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने व्यक्तिगत लैपटाप पर कार्य करते हैं, साथ ही यह भी बताया गया कि एस0एस0डी0जी0 के तीन कम्प्यूटर रिसीड/डिस्पैच कार्यालय में रखे हैं जो क्रियाशील नहीं है।

मौके पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से दूरभाष पर वार्ता कर उक्त अक्रियाशील कम्प्यूटरो को शीघ्र सही कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा खण्ड विकास अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर मनरेगा सेल हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराये।

स्वान परियोजना

इसी प्रकार स्वान परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कार्यालय में स्वान कक्ष स्थापित है, जिसका संचालन श्री राजीव मेहरा द्वारा किया जाता है किन्तु निरीक्षण के समय वह उपस्थित नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया यह स्वान परियोजना इस उद्देश्य से स्थापित की गयी है कि नेट-वर्किंग सिस्टम चुस्त-दुरुस्त रहे किन्तु इसका लाभ ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है।

(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०/अति०का०अ०/खण्ड विकास अधिकारी-कांट)
स्टोर :-

खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये स्टोर में रखी हुई सामग्रियों की सूची तैयार कर निष्प्रयोग सामग्री की नियमानुसार नीलामी सुनिश्चित कराये तथा रख-रखाव उचित ढंग से कराना सुनिश्चित करें।

ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट-III

ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट-III का अवलोकन करने पर पाया गया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 2268526.00, तेरहवां वित्त आयोग मद में 88945.00, मनरेगा कंटीजेन्सी मद में 3839.00, टी.डी.एस. में 17103.00, विभिन्न खातों का व्यय में 89366.00, वाणिज्य कर में 358353.00, प्रगणक धन में 24962.00, आगनबाडी धन में 190627.00, इंदिरा आवास कंटीजेन्सी मद में 28042.00, मनरेगा कंटीजेन्सी व्यय मद में 7788.00, सोशल आडिट मद में 350.00 तथा कुल 307798.00 लाख रु० की धनराशि अवशेष पड़ी हुई है। खण्ड विकास अधिकारी को उपर्युक्त धनराशि शीघ्र नियमानुसार व्यय किये जाने तथा अप्रयुक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किये जाने के निर्देश दिये गये।

स्थापना पटल

निरीक्षण के समय स्थापना पटल सहायक के अवकाश पर होने के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि वह दिनांक 22.04.2016 तक अवकाश पर है, खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि संबंधित लिपिक को दिनांक 23.04.2016 को समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो अन्यथा उनका वेतन रोक दिया जाएगा किन्तु वह उपस्थिति नहीं हुए। अतएव श्री रमाकांत श्रीवास्तव, स्थापना लिपिक का माह अप्रैल, 2016 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है।

(कार्यवाही-जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-कांट)

समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक के दौरान सर्व प्रथम उपस्थित तकनीकी सहायको से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत इंदिरा आवास व लोहिया आवास के ले-आउट के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें तकनीकी सहायको द्वारा बताया गया कि अभी तक मात्र दो ग्राम पंचायतों यथा बरूआ बुजुर्ग व रतनापुर में ही ले आउट का कार्य प्रारम्भ हो पाया गया, निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर आवंटित आवासों के सापेक्ष समस्त आवासों का ले आउट कर लें साथ ही ले आउट के समय नींव के अन्दर तकनीकी सहायक, सचिव, ग्राम पंचायत, प्रधान की संयुक्त

फोटो ग्राफ्स विकास खण्ड कार्यालय में जमा करेंगे, जिसका पर्यवेक्षण अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंगित किये गये 06 प्रकार के कार्यों यथा स्टीमेट, स्थल सत्यापन व प्रथम स्तर की फोटोग्राफ आदि कार्य करने के निर्देश दिये गये।

सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में ग्राम पंचायतों में आवंटित शौचालयों का विवरण ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक तैयार करे, जिसमें कार्ययोजना, फोटोग्राफ्स आदि लगाये।

विकास खण्ड के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की समस्त ग्राम पंचायतों के अलग-अलग फोल्डर बनाये, जिसमें कार्ययोजना, वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यों की सूची व ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण रखा जाये तथा मा0 मुख्यमंत्री जल बचाव अभियान के अन्तर्गत चयनित 57 तालाबों की बुकलेट पृथक-पृथक बनायी जाएगी, जिसमें आवश्यक पत्रावली रखी जाये। साथ ही साथ समस्त तकनीकी सहायक व सचिव, ग्राम पंचायत को निर्देश दिये गये कि चयनित तालाबों का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर ले तथा यदि कार्य अपूर्ण की स्थिति में हो तो उसे तत्काल प्रभाव वे ठीक करा लें, जिसका सत्यापन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तकनीकी सहायक के साथ किया जाएगा।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत पटल सहायक श्री बाबूराम को निर्देशित किया गया कि जिन समूह की प्रथम ग्रेडिंग हो गयी है उन समस्त ग्राम पंचायतों की पृथक-पृथक पत्रावली मय आवश्यक अभिलेख व फोटोग्राफ्स के साथ तैयार करें तथा किस बैंक पर कितनी पेन्डेन्सी है, उसके निराकरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से प्रयास करे तथा एक सप्ताह के अन्दर विवरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

अन्त में समस्त सचिव, ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया कि अपनी ग्राम पंचायतों में सामान्य खराबी से बन्द पड़े हैण्डपम्पो को ठीक कराने व टूटे हुए चबूतरों को सही करायें।

पशु चिकित्सालय

पशु चिकित्सालय विकास खण्ड परिसर में ही स्थित है। निरीक्षण के समय पशु चिकित्सक डा0 गया प्रसाद उपस्थित मिले, उनके द्वारा बताया गया कि खुरपका-मुहपका योजना के अन्तर्गत 115 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 39 ग्रामों में पशुओं का टीका-करण किया जा चुका है। पशु चिकित्साधिकारी को समय से समस्त राजस्व ग्रामों में पशुओं का टीकाकरण कराने तथा कार्यालय अपना नाम व मोबाइल नम्बर अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य पशु चि0अ0 / पशु चिकित्साधिकारी, कांट)

खण्ड विकास अधिकारी को विकास खण्ड परिसर में स्थित पशु पालन विभाग की पुरानी इमारत व कृषि विभाग के स्टोर की पुरानी इमारत जो कि जर्जर स्थिति में है, का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही पास में स्थित शौचालय में महिला व पुरुष अंकित किये जाने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता / पंचायत दिये गये।

